

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव(छ.ग.)

फोन नं 077444407705, 407706 ई मेल mdmdeorjn@gmail.com

ज्ञाप क / 19/16 / शि.का.अधि / अनु-मान्य / 2021 // प्रपत्र- II //

राजनांदगांव, दिनांक 01/04/21


अध्यक्ष लाल चन्द्र बहादुर एजुकेशनल सोसायटी राजनांदगांव जिला - राजनांदगांव
विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत
विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख..... के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं डॉ. जे.बी.सिंह सिनियर सेकेण्डरी स्कूल लाल बाग राजनांदगांव कक्षा पहली से आठवी तक दो वर्षों की अवधि के लिये जो दिनांक 31.03.2021 से 31.03.2023 तक प्रभावशील रहेगा, अनंतिम मान्यता प्रदान करने लिये संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 % तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहिन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों को अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूरित्या प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चों को उसकी आयु का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:- (एक) प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चों को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। (दो) किसी भी बच्चों को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा। (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। (पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। (छ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे। (सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन


Principal
Dr. J.B. Singh Memorial Sr. Sec. School
Rainandaon (C.G.)

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित का क्षेत्रफल, खेल का मैदान का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्रधानपाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष, बालकों और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोईया, बाधारहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकुद के उपकरणों/पुरतकालय की उपलब्धताफ
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) की अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टे द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड क्रमांक संख्यांक A141 कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का, उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलन परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. आपकी संस्था को प्रदान की जा रही यह मान्यता पूर्णतः अस्थायी है, शाला संचालन के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि आपके संस्था द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शाला संचालन हेतु वर्णित नियम/निर्देश एवं विद्यालय संचालन के मान एवं मानकों (धारा 19 और 25) का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Attested
Ekhanda

जिला शिक्षा अधिकारी
राजनांदगाँव 31/3/24

Principal
Dr. J.B. Singh Memorial Sr. Sec. School
Rajnandgaon (C.G.)